

# विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2022 (माघ 14, 1943)

क्रमांक 1735/मप्रविस-15/विधान/2022.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 2 फरवरी, 2022 सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भोपाल में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल :  
दिनांक 2 फरवरी, 2022

मंगुभाई पटेल  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

क्रमांक 1736/मप्रविस-15/विधान/2022.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2022 (माघ 14, 1943)

## प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित:—

मध्यप्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्य;  
मध्यप्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, भोपाल;  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सचिव, भोपाल;  
समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश;  
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;  
महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर;  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल;  
जिला दण्डाधिकारी, भोपाल;  
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;  
पुलिस आयुक्त, भोपाल;  
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क), भोपाल संधारण संभाग-एक, भोपाल;  
महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली;  
महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली;  
भारत के समस्त विधान-मंडलों के प्रमुख सचिव/सचिव;  
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001;  
सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली; और  
सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90-संसद् भवन, नई दिल्ली.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.